हेमन्त सोरेन
Hemant Soren

झारखण्ड सरकार

मुख्यमंत्री
झारखण्ड सरकार
Chief Minister
Govt. of Jharkhand

अ०स०प०सं०...4000090...

दिनांक–...26.04.2020...

आदरणीय प्रधानमंत्री जी,

**Covid-19** की वर्तमान स्थिति पर विभिन्न राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ **Video Conference** के माध्यम से आपका संवाद एवं विचार विमर्श कल 27 अप्रैल 2020 को पूर्वाह्न 10 बजे से निर्धारित है। मुझे सूचित किया गया है कि इस संवाद एवं विचार–विमर्श में अपना विचार रखने वाले मुख्यमंत्रियों की सूची में मेरा नाम शामिल नहीं है।

झारखण्ड में **Covid-19** की वर्तमान स्थिति एवं इससे जुड़ी कई गंभीर समस्याओं से आपको अवगत कराया जाना झारखण्ड की हितों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। अतः मेरा अनुरोध है कि **Video Conferencing** के माध्यम से निर्धारित विचार–विमर्श में झारखण्ड को भी अपनी बात रखने का अवसर दिया जाय। यदि कतिपय कारणों से आदिवासी बाहुल्य राज्य झारखण्ड को अपने मुख्यमंत्री के माध्यम से अपनी बात रखने हेतु समय दिया जाना संभव नहीं हो पाता है तो इस पत्र में वर्णित तथ्यों को कल के **Video Conferencing** संवाद में मेरे विचार के रूप में अंकित करने की कृपा की जाय।

Covid-19 के नियंत्रण हेतु भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा **Disaster Management Act, 2005** के तहत समय–समय पर आदेश निर्गत किये गये हैं। झारखण्ड राज्य में इन आदेशों का अक्षरशः अनुपालन करने हेतु हमने ठोस कार्रवाई की है। इन आदेशों के विपरीत हमने न तो कोई आदेश निर्गत किया और न ही कोई कार्रवाई की। परन्तु समाचार पत्रों तथा TV चैनलों के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हो रही है, उससे पता चलता है कि कई राज्यों द्वारा भारत सरकार के उपरोक्त आदेशों का घोर उल्लंघन करते हुए प्रतिदिन कई कार्रवाई की जा रही है। वैसे उदाहरण तो बहुत हैं, परन्तु दूसरे राज्यों में फंसे छात्रों तथा मजदूरों को अपने राज्य में वापस लाने से संबंधित विषय की ओर आपका ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट करना चाहूँगा।

झारखण्ड राज्य के पाँच हजार से ज्यादा बच्चे कोटा तथा देश के अन्य शहरों में **Lockdown** के कारण फंसे हुए हैं। इसी तरह से लगभग 5 लाख से अधिक हमारे राज्य के मजदूर, जो अन्य राज्यों में रोजगार की तलाश में गये थे, आज **Covid-19** तथा **Lockdown** के कारण अपने राज्य वापस आना चाहते हैं। वे बार–बार गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें वापस लाने का प्रबंध राज्य सरकार करे। परन्तु हम बेबस हैं, चूंकि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश सं0–40-3/2020-DM-1(A) दिनांक 15th अप्रैल, 2020 की कंडिका–I(V) में स्पष्ट लिखा है कि 03 मई, 2020 तक व्यक्तियों का **Inter-state movement** प्रतिबंधित रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन **Disaster Management Act, 2005** की धारा 51 से 60 तक में दण्डनीय अपराध है। मेरी सरकार ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहती है, जो भारत सरकार के **Covid-19** से संबंधित आदेशों के उल्लंघन की श्रेणी में दर्ज हो।

काँके रोड, राँची–834008/ Kanke Road, Ranchi-834008
दूरभाष/Tele.-0651-2280886, 2280996, 2400233 एवं 2280717, 2400232 (Fax/फैक्स)
e-mail- chiefminister.jharkhand19@gmail.com

Scanned with CamScanner

हेमन्त सोरेन
Hemant Soren

झारखण्ड सरकार

मुख्यमंत्री
झारखण्ड सरकार
Chief Minister
Govt. of Jharkhand

प्रतिदिन यह जानकारी प्राप्त हो रही है कि कुछ राज्य आपसी सहमति से बड़े पैमाने पर छात्रों तथा मजदूरों का **Inter-state movement** करवा रहे हैं, जबकि गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ऐसा करने के लिए कोई **Relaxation order** निर्गत नहीं किया गया है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा निर्गत संदर्भित पत्र के निर्देशों के प्रतिकूल की गई कोई कार्रवाई सिर्फ इस आधार पर वैद्य नहीं हो सकती कि ये कार्य संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री की आपसी सहमति से किए गए हैं। ऐसे राज्यों से केन्द्र सरकार द्वारा किसी प्रकार का स्पष्टीकरण पूछे जाने या **Disaster Management Act, 2005** के प्रावधानों के तहत इनके विरूद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई किए जाने का कोई दृष्टांत भी सामने नहीं आया है। इससे जनमानस में ऐसी धारणा बन रही है कि इन राज्यों को भारत सरकार के गृह मंत्रालय की मौन सहमति प्राप्त है। बच्चों के अभिभावक, मजदूरों के रिश्तेदारों, जनप्रतिनिधिगण तथा अन्य बुद्धिजीवी लोगों द्वारा अन्य राज्यों की तरह हमारे बच्चों तथा मजदूरों को वापस लाने की व्यवस्था करने का लगातार दबाव सरकार पर बनाया जा रहा है। परन्तु भारत सरकार के आदेश के सम्मान के कारण मैं ऐसा करने में अपने आपको असमर्थ महसूस कर रहा हूँ। **यह एक विचित्र स्थिति बन रही है कि भारत सरकार के निर्देशों के अनुपालन करने के कारण कोई राज्य विकट राजनीतिक–सामाजिक स्थिति का सामना कर रहा है।** मैं आपको यह विशेष रूप से अवगत कराना चाहूँगा कि इससे झारखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में आक्रोश उभर रहा है।

अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपने गृह मंत्रालय को निर्देश दें कि अन्य राज्यों में फंसे बच्चों तथा मजदूरों को वापस लाने के लिए **Relaxation order** निर्गत करें ताकि यह कार्रवाई केन्द्र सरकार के सहयोग से वैधानिक रूप से पूरी की जा सके। आप सहमत होंगे कि जिन राज्यों द्वारा इस कार्य को बिना **Relaxation order** के किया जा रहा है, इन राज्यों के वरीय पदाधिकारियों को भविष्य में न्यायालयों में अप्रिय परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। इससे पदाधिकारियों का मनोबल गिरेगा तथा प्रशासन पर इसका कुप्रभाव लंबे समय तक महसूस किया जायेगा।

सार्थक पहल की उम्मीद के साथ।

सादर ।

भवदीय,

(हेमन्त सोरेन)

सेवा में,

**श्री नरेन्द्र मोदी**
माननीय प्रधानमंत्री,
भारत सरकार
साउथ ब्लॉक, रायसीना हिल,
नई दिल्ली–110011

काँके रोड, राँची–834008/ Kanke Road, Ranchi-834008
दूरभाष/Tele.-0651-2280886, 2280996, 2400233 एवं 2280717, 2400232 (Fax/फैक्स)
e-mail- chiefminister.jharkhand19@gmail.com

Scanned with CamScanner